



रजि०न०एल०डब्लू/एल०पी०८९०
लाइसेंस न०डब्लूपी०-४१
लाइसेंस व पोस्ट एण्ड कन्सन्सल

सरकारी गजट उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-४ खण्ड (ख)

परिनियत आदेश

लखनऊ मंगलवार २३ नवम्बर, २००४

अग्रहायण २, १९२६ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबंधन अनुभाग-५

सं० क०नि०-५-५५९५/११-२००४-५००(८४)-२००३

लखनऊ २३ नवम्बर २००४

अधिसूचना

आदेश

प०आ० ५६०

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय समय पर संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम १८९९ (अधिनियम सं० २ सन् १८९९) की धारा ९ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ३० सन् १९७४ द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम १९७३ (राष्ट्रपति अधिनियम सं० ११ सन् १९७३) के अधीन गठित विकास प्राधिकरणों द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम १९६५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १ सन् १९६६) के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा या उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम १९७६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ६ सन् १९७६) के अधीन गठित किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा या कम्पनी अधिनियम १९१६ के अधीन रजिस्ट्रीकृत उत्तर प्रदेश राज्य अद्योगिक विकास निगम या उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम १९१६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २ सन् १९१६) या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम १९५९ (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २ सन् १९५९) के अधीन गठित स्थानीय निकायों द्वारा सन् १९६२ के युद्ध और उसके बाद हुए

किसी युद्ध या आतंकीवादियों से हुए किसी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों आश्रितों के पक्ष में निष्पादित विक्रय लिखत और पट्टा धृत अधिकारों को फ्रीहोल्ड अधिकारों में संपरिवर्तित करने से सम्बन्धित लिखितों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते हैं ।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ

(1) आश्रितों का तात्पर्य

क- पत्नी या पति (जैसी स्थिति हो)

ख- पुत्र

ग- अविवाहित पुत्री या वधिवा पुत्री

घ- माता या पिता से हैं ।

परन्तु यदि प्रथम वर्ग का आश्रित उपलब्ध हो तो अन्य वर्ग के आश्रितों के आवेदन पर ऊपर उल्लिखित लिखितों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करने के विषय में विचारनही किया जायेगा

परन्तु यह और कि उपयुक्त सुविधा किसी शहीद के आश्रितों को केवल एक बार उपलब्ध करायी जायेगी ।

2-भारतीय सेना मुख्यालय नई दिल्ली व्दारा जारी प्रमाण पत्र से आश्रित के दावे की पुष्टि की जायेगी ।

आज्ञा से
शेखर अग्रवाल
प्रमुख सचिव ।